

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 136 OF 2024**

**IN THE MATTER OF:**

**PREM CHAND GUPTA**

**..... APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF U.P. & ORS.**

**.... RESPONDENTS**

**INDEX**


Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Affidavit filed on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	
2.	<b><u>ANNEXURE-1</u></b> True copy of letter dated 12.07.2024	
3.	<b><u>ANNEXURE-2</u></b> True copy of notarized affidavit dated 21.06.2024	
4.	<b><u>ANNEXURE-3</u></b> True copy of letter dated 25.06.2024.	
5.	<b><u>Annexure-4</u></b> True copy of letter dated 21.06.2024.	
6.	<b><u>Annexure-5 &amp; 6</u></b> True copy of letter dated 10.05.2019 and 28.11.2018.	
7.	<b><u>Annexure-7</u></b> True copy of letter dated 25.06.2024.	

8.	<b><u>Annexure-8</u></b> True copy of the show-cause notice dated 08.07.2024.	
9.	<b><u>Annexure-9</u></b> True copy of receiving copy of show-cause notice dated 26.07.2024.	
10	<b><u>Annexure-10 &amp; 11</u></b> True copy of letter dated 02.09.2024 & 09.09.2024.	

NEW DELHI  
DATED: 10.09.2024



**(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)**  
Counsel for U.P. Pollution Control Board,  
138, New Lawyers Chamber,  
Supreme Court of India,  
New Delhi-110001  
(M.) 9810252518  
Email: [pradeepmisra@yahoo.com](mailto:pradeepmisra@yahoo.com)



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**  
**ORIGINAL APPLICATION NO-136/2024**

**IN THE MATTER OF:**

Prem Chand Gupta .....Applicant

**Versus**


State of Uttar Pradesh .....Respondent(s)

**Order Date- 26.07.2024**  
**Next Listing- 12.09.2024**

**RESPONSE ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.-2,**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN**  
**COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 26.07.2024**  
**PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,**  
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI IN ORIGINAL**  
**APPLICATION NO. 136 OF 2024 IN THE MATTER OF**  
**PREM CHAND GUPTA VERSUS STATE OF U.P.**

I, Umesh Kumar Gupta aged about 38 years S/o Shri Kailash Chandra Gupta, presently posted as Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Sonbhadra do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

That the deponent is working on the above mentioned post and being authorized officer in the captioned



Response in OA 136 of 2024 on the behalf of R-2

Signature/  
Identified  
Advocate

Signature/T.I.  
Identified  
Advocate

...affirmed before me by the  
...who identified by the  
...Advocate on  
...have satisfied myself by examining the  
...that he/she understands the  
...of the affidavit and the contents  
...and explained to me. Signed  
...  
...

3/21/2021  
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Faint handwritten text]

matter and well conversant with the facts and circumstances of the case and as such I am well conversant to swear this affidavit.

2. That Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred as Hon'ble Tribunal) vide its order dated 26.07.2024 has passed the following directions:

*".....4. In our view, before proceeding further, it would be appropriate to implead following as respondents:*

- I. State of Uttar Pradesh through Secretary Ministry of Environment Forest and Climate Change
- II. Uttar Pradesh State Pollution Control Board through its Member Secretary
- III. Central Pollution Control Board through its Member Secretary
- IV. District Magistrate, Mirzapur
- V. M/s Shivam Metal Refineries Industries, Harna Ki Gali, TulsiChauk, Post Dankengang, Thana KotwaliKatra, District Mirzapur....."

**Response-**

3. That the Uttar Pradesh Pollution Control Board, hereinafter referred as UPPCB, had submitted joint committee report in compliance to the order dated 18.04.2024 passed by this Hon'ble Tribunal vide reference no G0695/OA No.-136/2024 Dated 12.07.2024. A copy of letter dated 12.07.2024 is being annexed herewith as **Annexure-1** to this response.



Signature: [Handwritten Signature]  
 Identified  
 Advocate

[Handwritten Signature]

4. That during the site visit of the Joint Committee on dated 13.06.2024, M/s Shivam Metal Refineries Industries was found operational and situated near the resident of the applicant.
5. That the unit was engaged in production of aluminum pots as main product using aluminum scrap as raw material. As informed by the unit representative, daily production of the Aluminum pots is approximate 90 Kg./Day. The unit representative also informed that its furnace is not operated continuously.
6. That the unit vide its reply through notarized affidavit dated 25.06.2024, has also informed that pit furnace is operated occasionally. Maximum job work of finishing of aluminum pots is being done as per demand. Production of the unit has been fully stopped at present. Applicant Shri Prem Chand Gupta is neighbour of the unit's proprietor and complaint is done by him due to mutual dispute. The copy of notarized affidavit dated 25.06.2024 is being annexed herewith as **Annexure-2** to this response.



That vide letter No. G0623/OA No. 136/2024 dated 25.06.2024 the Regional Officer, UPPCB, Sonbhdara has requested to the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for providing the information about the land use of the aforesaid unit. A copy of letter dated

25.06.2024 is being annexed herewith as **Annexure-3** to this response.

130

8. That the Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur vide its letter no.-206/V.Ra./2024-25 dated 21.06.2024 has informed that the land of the said unit is registered as residential in tax records. A copy of letter dated 21.06.2024 is being annexed herewith as **Annexure-4** to this response.
9. That the UPPCB vide its letter reference no H35723/C-4/OA No. 64/2016 dated 10.05.2019 has issued direction for complying of order dated 28.11.2018 passed by the Hon'ble Tribunal in OA No 64/2016 in the matter of Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. The operative part of the order is reproduced as below: -

*"...8. In view of the above, we pass the following orders:  
(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed....."*

The copy of letter dated 10.05.2019 and order dated 28.11.2018 are being annexed herewith as **Annexure-5** and **Annexure-6** to this response, respectively.

10. That in pursuant to direction issued from UPPCB vide its letter dated 10.05.2019, Regional officer, UPPCB, Sonbhadra has requested Executive Officer, Nagar



*gop*

Palika Parishad, Mirzapur for shifting of the said unit namely M/s Shivam Metal Refineries Industries from residential area vide ref. no G0623/OA-136/2024 dated 25.06.2024. A copy of letter dated 25.06.2024 is being annexed herewith as **Annexure-7** to this response.

11. That UPPCB had also issued Show-cause notice to M/s Shivam Metal Refineries Industries, Harna Ki Gali, Tulsi Chauk, Post-Dankinganj, Thana-Kotawali Katara, District-Mirzapur under section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter no. H13644/C-2/Vayu-556/24 date 08.07.2024. The copy of the Show-cause notice dated 08.07.2024 is being annexed herewith as **Annexure-8** to this response.

12. That the officials of the Regional Office, UPPCB, Sonbhdara has conducted the site visit on 26.07.2024 and the show cause notice was got received to proponent on dated 26.07.2024. The unit was found non-operational during visit on 26.07.2024. The receiving copy of show-cause notice is being annexed herewith as **Annexure-9** to this response.

13. That M/s Shivam Metal Refineries Industries had not submitted their representation or reply against Show-cause notice dated 08.07.2024 issued by UPPCB.



14. That Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra vide its ref. No. G0851/OA No.136/2024 dated 02.09.2024 has recommended to confirm show cause notice dated 08.07.2024 and subsequently closure order against the said unit was issued on 09.09.2024 after giving opportunity in accordance with law. The copies of the said letters are being annexed herewith as **Annexure-10** and **Annexure-11** to this response, respectively.

15. That the above response on behalf of the Respondent No.-2, Uttar Pradesh Pollution Control Board, is submitted before this Hon'ble National Green Tribunal for perusal and kind consideration.

Signature/T.I.  
Identified  
Advocate

Signature/T.I.  
Identified  
Advocate

**Deponent**

**VERIFICATION**

I, the deponent named above, do hereby verify that the content of paras 01 to 02 of this affidavit is true to my knowledge and paras 03 to 15 are true on the basis of records and as per legal advice. No part of it is false and nothing material has been concealed. So help me GOD.

Verified at Sonbhadra on 10<sup>th</sup> day of September, 2024.  
MIRZAPUR



Signature/T.I.  
Identified  
Advocate

Signature/T.I.

**Deponent**



Annexure No.1  
 क्षेत्रीय कार्यालय,  
 REGIONAL OFFICE,  
 उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
 U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
 सोनभद्र  
 SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0695/OA NO-136/2024

दिनांक:-

Date: 12/07/2024

To,

The Registrar,  
 Hon'ble National Green Tribunal,  
 Copernicus Marg,  
 New Delhi.  
 E-mail-judicial-ngt@gov.in

**Sub:-** Submission of Joint Committee report in pursuant to order dated 18.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 136/2024, Prem Chand Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 18.04.2024 in the matter of O.A. No. 136/2024, Prem Chan Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the Joint Committee report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid Joint Committee report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

**Encl.:** As above.

Yours faithfully,

  
 (U.K. Gupta)  
 Regional Officer  
 Sonbhadra.

**Endt. No. & date as above.**

**Copy to:-**

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer  
 Sonbhadra.


Joint Committee Report in pursuant to order dated 18.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 136/2024, Prem Chand Gupta versus State of Uttar Pradesh & Ors.

---

1. That Hon'ble NGT has constituted a joint committee vide its Order dated 18.04.2024 in Original Application No. 136/2024, Prem Chand Gupta Versus State of Uttar Pradesh & Ors. and directed joint committee for verifying the factual position and suggests appropriate remedial action. The operative part of the order is reproduced as below: -

".....we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.
  7. List for further consideration on 26.07.2024.
2. That in compliance of Hon'ble NGT directions, following members have been nominated by the concerned departments: -
    - a. Shri Shiv Pratap Shukla, ADM (F/R), Mirzapur.
    - b. Shri Runa Oraon, Scientist-E, RD-CPCB, Lucknow.
    - c. Shri U.K. Gupta, Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra.



3. That the Committee members discussed and decided a date for carrying out field visit. The joint committee conducted the site visit on dated 13.06.2024 of M/s. Shivam Metal Refineries Industries, Harana Ki Gali, Tuls Chauk, Post-Dankeenganj, Thana-Kotwali Katara, District-Mirzapur for reviewing the factual status of the grievances made by the complainant/ applicant.
4. That the following issues were raised by the applicant in his application: -  
".....complained about illegal operation of an Alluminium factory at Mohalla Harnaki Gali, PO-Dankinganj, Thana-Kotwali Katra, Distt. Mirzapur, in violation of environmental norms. The said factory is melting aluminium and emitting excess quantity of smoke and hazardous gases causing damage to environment and health hazard to local residents....."
5. Field Observations of the committee:
  - I. M/s Shivam Metal Refineries Industries was found situated near residential house of the applicant. The unit is engaged in production of aluminum pot as main product using aluminum scraps as raw material. As informed by the unit representative, daily production of the Aluminum pots is approximate 90 Kg/Day.
  - II. At the time of visit, Shri Bholanath Gupta Son of Shri Krishan Chandra was present as proprietor of the unit and Shri Premchand, who as complainant, denied to present. The unit representative informed that

pit furnace is not continuing operated. Only job work of finishing of raw aluminum pots is done on the market demand as well as sometimes melting of scrap.

- III. During visit by joint committee, the unit was found operational. As well as, the process of melting process of aluminum scrap was found operational also on the day of site visit.
- IV. The unit has installed one pit furnace as major air pollution source, in which coal is used as fuel. This pit furnace is used for melting of aluminum scraps. The unit has provided stack of height approximate 15 feet with hood as pollution control measures to control the emission emitted by furnace.
- V. Photographs are as follows:-





- VI. The monitoring of gaseous emission could not complete due to not installation of porthole and sampling platform with stack.
- VII. The unit has not obtained 'Consent to Operate' (CTO) form UPPCB. The unit is being operated without obtaining CTO in residential area without proper land use conversion. The record about land use was not produced by the unit.
6. That it is submitted that Regional Officer, UPPCB Sonbhadra has directed M/s Shivam Metal Refineries Industries, Mohalla- Harnaki Gali, PO-Dankanganj, Thana-Kotwali Katra, District-Mirzapur for providing information vide letter no. G0600/OA-136/2024 Dated-15.06.2024 with copy to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for providing the

information about the land use of the said unit. The copy of letter dated 15.06.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-1.

7. That it is submitted that Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur vide their reply dated 21.06.2024 has informed that the house of the unit is registered as residential in tax records and the house number-213/3 of ward number-08 is registered in the name of Smt Meena Kumari W/o Lt. Badri Prasad. The reply of Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur is attached herewith and marked as Annexure No.-2.
8. That the unit vide its reply as notarized affidavit dated-25.06.2024, has also informed that pit furnace is operated sometimes. Maximum job work of finishing of aluminum pots is being done as per demand. Applicant ShriPrem Chand Gupta is neighbor of the unit proprietor and complaint is done by him due to mutual dispute. The copy of notarized affidavit dated 25.06.2024 is attached herewith and marked as Annexure No.-3.
9. That UPPCB has issued show cause notice before issuing closure order against the unit under the section-31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (As amended) vide letter Dated 8.7.2024 as per recommendation made by Regional Officer, Sonbhadra sent vide letter dated-25.06.2024. The copies of letter dated-08.07.2024 and 25.06.2024 are attached herewith and marked as Annexures No.-4 and 5.

10. That UPPCB head-quarter, Lucknow vide its reference no H35723/C-4/OA No. 64/2016 letter dated 10.05.2019 has issued direction for complying of order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. The copies of letter dated 10.05.2019 and order dated 28.11.2016 are attached herewith and marked as Annexure No.-6& 7. The operative part of the order is reproduced as below: -

*"...8. In view of the above, we pass the following orders:*

*(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed....."*

In pursuant to direction issued from UPPCB head-quarter vide its letter dated 10.05.2019, Regional officer, UPPCB, Sonbhadra has requested to Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur for shifting of the said unit namely M/s Shivam Metal Refineries Industries from residential area vide ref. no G0623/OA-136/2024 dated 25.06.2024 (Annexure No.-8).

Conclusion/Suggestions:

The Unit namely M/s Shivam Metal Refineries Industries is situated in residential area. The unit is engaged in production of aluminum pots. The house of the unit is registered as residential in tax records and the house number-213/3 of ward number-08 is registered in the name of Smt. Meena Kumari w/o Lt. Badri Prasad as per letter issued by local body. The unit has not obtained 'Consent to

Operate' (CTO) form UPPCB. Therefore, the following steps should be taken by concerning department:-

- I. UPPCB and District Administration must ensure compliance of the direction issued by UPPCB under the under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).
- II. The Units hould not operate as per given statement in the notarized affidavit dated-02.03.2024.
- III. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Mirzapur should initiate proceedings for shifting of the said unit namely M/s Shivam Metal Refineries Industries from residential area in pursuant to order dated 28.11.2016 passed by the Hon'ble NGT in the matter of OA No 64/2016 Gopeshwar Nath Chaturvedi versus U.P. Pollution Control Board and Ors. and direction issued by UPPCB vide its letter dated 10.05.2019.

The above Joint Committee Report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

 08/07/2024		 08/07/24	 08.07.24
(U.K. Gupta)	(Runa Oraon)	(Bharat Lal Saroj)	(Shiv Pratap Shukla)
<b>Regional Officer</b>	<b>Scientist-E</b>	<b>ASDM</b>	<b>ADM (F/R)</b>
U.P.P.C.B., Sonbhadra	RD-C.P.C.B., Lucknow	Sadar Mirzapur	Mirzapur



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:G 0600/OA No. 136/2024

सेवा में,

M/s. Shivam Metal Refineries Industries,  
Harana Ki Gali, Tulsī Chauk,  
Post-Dankeenganj, Thana Kotwali Katara,  
District-Mirzapur.

दिनांक:-

Date: 15.06.2024

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

....."5. we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 26.07.2024....."

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक-13.06.2024 को किया गया। मौके पर आप द्वारा निम्न सूचनार्य प्रस्तुत नहीं की गयी:-

1. भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. उद्योग आधार/पंजियन से सम्बन्धित अभिलेख।
3. विद्युत संयोजन की प्रकृति से सम्बन्धित अभिलेख।
4. उद्योग स्थल पर निर्माण भवन का स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से स्वीकृत मैप।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनार्य/अभिलेख लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे Factual Report मा० अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र विलम्बतम् 03 दिवस में प्रेषित करना चाहें।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद-मीरजापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के पंजियन से सम्बन्धित सूचना 03 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(यू०के० गुप्ता)  
15/06/2024

क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

पत्रांक- 206 /वि0रा0 /2024-25

दिनांक- 21/06/2024

सेवा में

क्षेत्रिय अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियंत्रण ईकाई  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश,

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-136/2024 श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता  
बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक G0600/OA NO. 136/2024 दिनांक 15.06.2024 का  
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन तथा स्थानीय  
निकाय/प्राधिकरण के स्वीकृत मैप से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान  
किया गया है।

कृपया विषयाकित्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वार्ड सं0 8 भवन सं0 213/3 पर  
श्रीमती मीना कुमारी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद का नाम नगर पालिका कर अभिलेख में अंकित  
है भवन का उपयोग पालिका अभिलेख में आवासीय है। भवन का मानचित्र की स्वीकृति नगर  
पालिका द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि विकास प्राधिकरण मीरजापुर द्वारा किया जाता है।  
अतः उक्त स्थिति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

प्रतिलिपि:-

श्रीमती मीना कुमारी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद को इस निर्देश के साथ की क्षेत्रिय  
अधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियंत्रण ईकाई सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, के पत्र सं0  
G0600/OA NO. 136/2024 दिनांक 15.06.2024 की समस्त सूचनायें क्षेत्रिय  
अधिकारी प्रदुषण को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
(पत्र संलग्न है।)

अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G 0600/OA No. 136/2024

सेवा में,

M/s. Shivam Metal Refineries Industries,  
Harana Ki Gali, Tulsi Chauk,  
Post-Dankeenganj, Thana Kotwali Katara,  
District-Mirzapur.

दिनांक:-

Date: 15.06.2024

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

....."5. we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 26.07.2024....."

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक-13.06.2024 को किया गया। मौके पर आप द्वारा निम्न सूचनार्य प्रस्तुत नहीं की गयी:-

1. भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. उद्योग आधार/पंजियन से सम्बन्धित अभिलेख।
3. विद्युत संयोजन की प्रकृति से सम्बन्धित अभिलेख।
4. उद्योग स्थल पर निर्माण भवन का स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से स्वीकृत मैप।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनार्य/अभिलेख लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे Factual Report मा० अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्र०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपि:-**

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र विलम्बतम् 03 दिवस में प्रेषित करना चाहें।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद-मीरजापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के पंजियन से सम्बन्धित सूचना 03 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

(यू०के० गुप्ता)  
15/06/2024  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)  
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र-231216  
ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)  
Robertsganj, Sonbhadra-231216  
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

सम्पत्ति कोड 0080000260

वार्ड- 008-Mahuwariya

बिल क्रमांक 260	मकान संख्या 211/3			
बिल दिनांक 20 Jun 2024	भवन का प्रयोग आवासीय			
प्रभावी तिथि / /	वार्षिक मूल्यांकन (रु. में) 450.00			
भवन स्वामी का नाम तथा पता			मोबाइल नम्बर	
Smt Meena Kumari W/O Badri Pd ,Badri Pd S/o Jagermath				
211/3 HARNA LANE				
करों का विवरण	गृहकर	जलकर	जल मूल्य	योग
वर्तमान कर	45	45	555	645
बकाया कर	0	0	0	0
बकाये पर ब्याज (10%)	0	0	0	0
विलम्ब शुल्क नामान्तरण	0			
कुल योग				645
जमा की गई धनराशि				0
कुल देय धनराशि				645

नोट :

लिपिक

कर अधीक्षक

1. इस बिल की धनराशि का भुगतान बिल प्रस्तुत किये जाने के 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिये अन्यथा मांग की नोटिस जारी की जायेगी और यदि आवश्यकता हुई तो अभिहरण और कुर्की के वारंट भी जारी किये जायेंगे।
2. भवन का सम्पत्ति कर सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जिनका विवरण नगर निगम के कम्प्यूटर कक्ष में उपलब्ध है, यदि आपत्ति हो तो एक माह के अन्दर आपत्ति की जा सकती है।
3. नगर पालिका परिषद के कम्प्यूटर कक्ष में धनराशि जमाकर कम्प्यूटरीकृत रसीद प्राप्त की जा सकती है।

Update Date / /

Update By

हस्ताक्षर बिल प्राप्तकर्ता

नोट :- बिल का भुगतान बिल प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कर दें अन्यथा मांग की नोटिस जारी की जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर आर०सी० की कार्यवाही की जायेगी।



2 Tickets Rs.10

Mandi, Uttar

Notary-Sonebhadra

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GT 011032

समक्ष,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनमद्र।

शपथ-पत्र

मैं, भोला नाथ गुप्ता पुत्र स्व० बद्री प्रसाद, प्रोपराइटर मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज, तुलसी चौक, हरना की गली, थाना कटरा कोतवाली मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरी फर्म मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज द्वारा एल्यूमिनियम के बर्तन के निर्माण का कार्य किया जाता था जो कि मेरी पुस्तैनी कारखाना था जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।
2. यह कि उक्त कारखाने का संचालन मेरे पिताजी द्वारा यदा-कदा किया जाता था जो एक वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है।
3. यह कि मेरे द्वारा कभी-कभी एल्यूमिनियम की भट्टी में एल्यूमिनियम गलाने का कार्य अज्ञानतावश किया जाता था एवं वर्तमान में उद्योग में निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर लिया गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा उद्योग के संचालन के समय वायु प्रदूषण को रोकने हेतु चिमनी स्थापित की गयी थी।
5. यह कि मेरे द्वारा जिस भवन में एल्यूमिनियम पाट का निर्माण कार्य किया जाता था वह जर्जर अवस्था में है, जिस कारण मेरे द्वारा उक्त उद्योग का स्थानान्तरण का कार्य किया जा रहा है।
6. यह कि हमारे पड़ोसी श्री प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र स्व० देवी प्रसाद निवासी हरना की गली, थाना कटरा कोतवाली मिर्जापुर द्वारा आपसी रंजिश के कारण शिकायत की गयी थी।
7. यह कि मेरे द्वारा उक्त उद्योग के स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र में जमा कर दिया गया है।

सत्यापन

उपरोक्त वर्णित पैरा 01 से लगायत 07 तक मेरे जानकारी में सत्य व सही है। यदि कोई तथ्य असत्य प्रमाणित होता है तो राज्य बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही मुझे मान्य होगी। ईश्वर मेरी मदद करें।

भोला नाथ

ह०-शपथकर्ता

भोला नाथ

ह०-शपथकर्ता









Government of India  
Form GST REG-06  
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AQIPG5479K1Z8

1.	Legal Name	BHOLA NATH GUPTA			
2.	Trade Name, if any	M/S SHIVAM METAL RIFINERIES INDUSTRIES			
3.	Constitution of Business	Proprietorship			
4.	Address of Principal Place of Business	1, hurana ki gali, tulsi chaur, Uttar Pradesh, 231001			
5.	Date of Liability	01/07/2017			
6.	Period of Validity	From	01/07/2017	To	NA
7.	Type of Registration	Regular			
					
8.	Particulars of Approving Authority				

Signature

Signature Not Verified  
Digitally signed by DS GOODS  
AND SERVICES TAX NETWORK 1  
Date: 2018.07.28 11:42:13 IST

Name

Designation

Jurisdictional Office

9. Date of issue of Certificate

28/07/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 0

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): कोतवाली Year (वर्ष): 2023  
मिर्जापुर कटरा  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0228 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 21/09/2023 20:19 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	506
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	323

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शनिवार Date from (दिनांक से): 09/09/2023 Date To (दिनांक तक): 09/09/2023  
Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/09/2023 Time (समय): 20:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 066 Date and Time (दिनांक और समय): 21/09/2023 20:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1.

(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 कि. मी. Beat No. (बीट सं.): डंकीनगंज

(b) Address (पता): तुलसी चौक हरना की गली,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): दशरथ बिन्द

(b) Father's Name (पिताका नाम): रामजद बिन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2003 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हुरुवा देऊरी, पडरी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता हुरुवा देऊरी, पडरी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश,  
भारत

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8090103685

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्रेमचन्द्र सोनी उर्फ गुड्डु सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 देवी प्रसाद सोनी	1. हरना की गली डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	मातेश्वरी सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 कैलाशनाथ सोनी	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	रवि कुमार सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 कैलाश सोनी	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अनुप कुमार सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : अज्ञात	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर महोदय, सविनय निवेदन हैं कि प्रार्थी दशरथ बिन्द पुत्र रामजद बिन्द निवासी हुरुवा देऊरी मीरजापुर थाना पडरी का निवासी हैं । मैं फर्म शिवम मेटल रिफाइनरी इन्डस्ट्रीज तुलसी चौक हरना की गली थाना कटरा कोतवाली मीरजापुर मे काम करता हूँ दिनांक 09.09.2023 को समय लगभग 3 बजे कारखाने के कार्य के दौरान विपक्षी (1) प्रेमचन्द्र सोनी उर्फ गुड्डु सोनी पुत्र स्व0 देवी प्रसाद सोनी (2) मातेश्वरी सोनी पुत्र स्व0 कैलाश नाथ सोनी (3) रवि कुमार सोनी पुत्र स्व0 बैजनाथ सोनी (4) अनुप कुमार सोनी पुत्र अज्ञात निवसी हरना की गली चिनिहवा इनारा डंकिनगंज मीरजापुर गाली गलौज करते हुये मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दिये हैं । अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि सुचना दे रहा हूँ FIR दर्ज कर कनूनी कार्यवाही करने की कृपा करे । हस्ताक्षर प्रार्थी दशरथ बिन्द 8090103685 दिनांक 21.09.2023

नोट मैं हे0मु0 अरविन्द यादव यह प्रमाणित करता हूँ कि नकल की तहरीर व कायमी मेरे द्वारा बोल-बोल कर कम्प्यूटर के माध्यम मे पंजीकृत कराया गया हैं ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): BUDHISAGAR YADAV अवर निरीक्षक  
No. (सं.): 982765368 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SHIV SHANKAR  
SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 052760062

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और  
समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना  
रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the  
suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और  
अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा( सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0622/OA No. 136/2024

दिनांक:-

Date: 25.06.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:-** मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-13.06.2024 को किये गये निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों से संज्ञान में आया है कि मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर में संचालित है। उक्त उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में एल्यूमिनियम स्क्रैप का उपयोग कर एल्यूमिनियम के वर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी। उद्योग को राज्य बोर्ड से संचालन हेतु सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल एवं भूस्वामी सम्बन्धी सूचना हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-जी.००६००/ओ०ए० संख्या-136/2024 दिनांक-15.06.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को पत्र प्रेषित किया गया था। तत्कम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर के पत्रांक-206/वि०रा०/2024-25 दिनांक-21.06.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उद्योग का भवन स्वामी श्रीमती मीना कुमारी पत्नी बंदी प्रसाद, बंदी प्रसाद पुत्र जगरनाथ अंकित है एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री भोला नाथ गुप्ता पुत्र स्व० बंदी प्रसाद हैं। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है। आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमन्य नहीं होने के आलोक में उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही होना नितान्त आवश्यक है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)

क्षेत्रीय अधिकारी



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.  
सेवा सं०

13644 / ए-21 वापु = 556/24  
मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज,  
हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा,  
जनपद-मीरजापुर।

दिनांक 27-7-24  
Date 27-7-24  
पंजीकृत

यह कि मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसुसार आपकी इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेस स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल एवं भूस्वामी सम्बन्धी सूचना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-जी. 00600/ओ0ए0 संख्या-136/2024 दिनांक-15.06.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को पत्र प्रेषित किया गया था, तत्कम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के पत्रांक-206/वि0रा0/2024-25 दिनांक-21.06.2024 एवं उक्त भवन के स्वामी श्रीमती मीना कुमारी पत्नी बट्टी प्रसाद पुत्र जगन्नाथ अंकित है, एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री भोला नाथ गुप्ता पुत्र स्व0 बट्टी प्रसाद है। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसुसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमत्य नहीं होने एवं आवासीय परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com



**उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**

संदर्भ संख्या- H 35723/अ-4/0A No-64/2016

दिनांक- 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

**विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है .....

“Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon’ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report.”

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं० 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या- सी०एस०/89/9-अ-3-2003-82 रिट/2003 दिनांकित- 05.09.2003 एवं शासनादेश सं० सी०एस०-89(1)/9-आ-3-2003-82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 10-11-2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं०- 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी-4/उ०प्र० शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश .....

“We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-Info@uppcb.com  
वेबसाइट-www.uppcb.com


TC. 12V Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: info@uppcb.com  
Web Site: www.uppcb.com

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay.”

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।


भवदीय,

संलग्नक : मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

  
(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक- 1745/पी०एस०एम०एस०/एस०ओ०-2018 दिनांक- 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।

  
सदस्य सचिव

Item Nos. 1 to 4

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 64/2016  
(M.A. No. 1024/2017)

With

Original Application No. 473/2016

With

Original Application No. 518/2018

M.A. Nos. 1243/2018 & 1244/2018

With

Original Application No. 910/2018

Gopeshwar Nath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kantanath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Harish Garg

Applicant(s)

Versus

U.P. State Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kunj Bihari Bhardwaj

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 28.11.2018

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**  
**HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Rahul Kumar, Advocate  
Ms. Savitri Pandey, Advocate  
Mr. I.K. Kapila, Advocate

For Respondent (s):

Mr. Rajkumar, Advocate  
Mr. Amit Tiwari, Advocate  
Mr. Pradeep Misra, Advocate  
Mr. S.K. Bhomicharya, Advocate  
Mr. Sarthak Chaturvedi, Advocate  
Mr. Rahul Khurana and Mr. Dinesh Agarwal,  
Advocates

**ORDER**

1. The issue in these applications is compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 23.09.2013 in SLP (Civil) No. (s) 4295/2011- M/s. Manoj Mini Rice Mill & Anr. Vs. State of U.P. & Ors, directing the implementation of the order of Division Bench of the Allahabad High Court, dated 13.08.2003 in Smt. Mithlesh Jain Vs. State of U.P. & Others (2003(6) AWC 4742, directing the industrial activities in residential areas to be shifted from such areas for protection of environment.
2. On 06.04.2018, the matter was considered by this Tribunal. It was noted that the units working at Mathura in residential area had agreed to shift and from some had actually shifted. The Pollution Control Board had refused consent to operate to many of the units. However, since it was stated on behalf of the applicant that some of the units were still operating, the District Administration, Mathura was directed not to allow the units, which did not have consent to operate or those who were not complying with the environmental norms to operate. The District Administration was to disconnect the electricity and water supply and file a status report.
3. Accordingly, status report has been filed on 26.04.2018 by the District Magistrate, Mathura to the effect that out of 77 units which were operating, consent to operate had been declined to 26 units. Electricity and water supply connection of all the 77 units were disconnected. Further, affidavit was filed in response to an application filed by the units for permission to operate stating that in spite of furnishing of an undertaking to shift, switch over to ZLD and not to use cyanide, the units were acting in breach of the undertaking. The ETPs were non- functional. The untreated effluent was being discharged in river Yamuna through open storm water drain. The units are of red category, as per classification by the CPCB. The use of cyanide based technology was prohibited by CPCB, vide order dated 18.08.2017. Such units cannot, thus, be allowed to operate as was the prayed by the said units claiming that they were compliant.
4. We have heard the learned counsel for the parties.
5. Learned counsel for the applicants submitted that even though the administration claims to have closed the units and disconnected the water and electricity, some of the units are still illegally functioning. The list of such units

has been filed in O. A. No. 910 of 2018. In these circumstances, Sh. I. K. Kapila, learned counsel for some of the applicant in the said matter has handed over a format of undertaking, prescribed in proceedings in the Hon'ble Supreme Court to deal with an identical situation in M. C. Mehta Vs. UOI & Ors. WP(C) No. 4677 of 1985,(2004)6 SCC 588. Undertaking is, inter-alia, as follows:

5. *"That, I/We seek restoration of electricity/water connection/desealing of the said premises of the purpose of:*
  - (i) *Removal of Machinery and other related items of industrial activity being carried out in the premises.*
  - (ii) *That I will inform in writing to the DCI(Policy) in Department of industries details of disposal of machinery with self-attested documents within 7 days of desealing of my premises by the SDM. Para 5 is modifying the language as may be applicable to the fact situation.*
  - (iii) *I intent to shift my plant and machinery to the new place in conforming industrial area as located at..... And a self-attested photocopy of the documents as proof of ownership and rent receipt etc is enclosed.*
6. *That, I/.We undertake not to carry out any activity in the existing premises after it desealed and this premises will be used only in a conforming manner."*

6. Learned counsel for the State of UP as well as learned counsel for UPPCB supported the above stand of such an undertaking being required for restoring the electricity/water connection in respect of the said units.

7. Learned counsel for the State/UPPCB also submit that the industries have been shifted to Jai Singh Pura which is also known as Guar Kendra which is an industrial area as per applicable master plan. It has been further stated that out of 77 units 7 units were not found at the location/address, 50 units have been shifted/ closed and 20 units were though consent was rejected and appeals against refusal of consent were dismissed. The said units have filed O. A. NO. 518 of 2018.

8. In view of the above, we pass the following orders:

- (i) The application- O. A. NO. 518 of 2018 is dismissed.
- (ii) Any unit out of 77 units in question, seeking restoration of water /electricity connection/ desealing will be required to furnish an undertaking in terms of para 5 herein above to the extent applicable in a fact situation, before the District Administration..
- (iii) The UPPCB and all other concerned statutory authorities will ensure that there is no violation of environment laws at Jai Singh Pura industrial area. In this regard, a Joint Inspection be carried out of the said

area by the representatives of the UPPCB and CPCB within one month from now. The deficiencies found, if any, may be addressed to the satisfaction of the CPCB. This area should have proper infrastructural facilities like CETP, TSDF, as required under the law.

(iv) It is made clear that if any DG set is operating to facilitate any of the above units, such DG sets may be seized by the District Administration on 'Precautionary Principal'.

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed.

9. Even though the present application referred to the units at Mathura, order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the State of UP and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report in this regard is furnished to this Tribunal within three months.

10. All these applications i.e. O.A. 64/2016(M. A. NO. 1024/2017), O.A. NO. 473/2016, O.A. No. 518/2018(M. A. NO. 1243/2018 & .A. NO. 1244/2018) and O.A. No. 910/2018 are disposed of, except for consideration of the report which may be furnished.

11. List the matter for consideration of the report in 2<sup>nd</sup> week of May, 2019 and same may be treated as a separate matter.

Adarsh Kumar Goel, CP

Raghuvendra S. Rathore, JM

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

November 28, 2018

ig



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:G0623/OA No. 136/2024

दिनांक:-

Date: 25.06.2024

सेवा में,

अधिकासी अधिकारी,  
नगरपालिका परिषद मीरजापुर,  
जनपद-मीरजापुर।

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H35723/सी-4/O.A.No. 64/2016 दिनांक-10.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 का अनुपालन कराया जाना वर्णित है। आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिपिंग हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

**"If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed."**

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिपिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिकासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किये जाने के निर्देश बोर्ड के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-10.05.2019 द्वारा प्राप्त है।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के आवासीय क्षेत्र में संचालित होने के कारण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरिसंदर्भित आदेश 28.11.2018 के आलोक में शिपिंग हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति आपको प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपि:-** मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी



2 Tickets Rs.10  
Mandya, Uttar  
Notary-Sonebhadra

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GT 011032

समक्ष,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
सोनभद्र।

शपथ-पत्र

मैं, भोला नाथ गुप्ता पुत्र स्व० बद्री प्रसाद, प्रोपराइटर मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज, तुलसी चौक, हरना की गली, थाना कटरा कोतवाली मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूँ:-

1. यह कि मेरी फर्म मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरी इण्डस्ट्रीज द्वारा एल्यूमिनियम के बर्तन के निर्माण का कार्य किया जाता था जो कि मेरी पुस्तैनी कारखाना था जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है।
2. यह कि उक्त कारखाने का संचालन मेरे पिताजी द्वारा यदा-कदा किया जाता था जो एक वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है।
3. यह कि मेरे द्वारा कभी-कभी एल्यूमिनियम की भट्टी में एल्यूमिनियम गलाने का कार्य अज्ञानतावश किया जाता था एवं वर्तमान में उद्योग में निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बन्द कर लिया गया है।
4. यह कि मेरे द्वारा उद्योग के संचालन के समय वायु प्रदूषण को रोकने हेतु चिमनी स्थापित की गयी थी।
5. यह कि मेरे द्वारा जिस भवन में एल्यूमिनियम पाट का निर्माण कार्य किया जाता था वह जर्जर अवस्था में है, जिस कारण मेरे द्वारा उक्त उद्योग का स्थानान्तरण का कार्य किया जा रहा है।
6. यह कि हमारे पड़ोसी श्री प्रेम चन्द गुप्ता पुत्र स्व० देवी प्रसाद निवासी हरना की गली, थाना कटरा कोतवाली मिर्जापुर द्वारा आपसी रंजिश के कारण शिकायत की गयी थी।
7. यह कि मेरे द्वारा उक्त उद्योग के स्थानान्तरण सम्बन्धी कागजात क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र में जमा कर दिया गया है।

सत्यापन

ह०-शपथकर्ता

उपरोक्त वर्णित पैरा 01 से लगायत 07 तक मेरे जानकारी में सत्य व सही है। यदि कोई तथ्य असत्य प्रमाणित होता है तो राज्य बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही मुझे मान्य होगी। ईश्वर मेरी मदद करें।

ह०-शपथकर्ता





FORM NO. 5  
RECEIPT

BOOK NO. B

431105

Municipality

Demand Register no. 21110-8, 21110-21113

from शुद्धीकरण

(in words)

Amount of शुद्धीकरण  
शुद्धीकरण

Mohalla

of 21110-8, 21110-21113

dated

Executive Officer/Secretary

Tax Collector,  
Clerk-in-charge of Demand  
and Collection Register

Tax Superintendent



Government of India  
Form GST REG-06  
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09AQIPG5479K1Z8

1.	Legal Name	BHOLA NATH GUPTA			
2.	Trade Name, if any	M/S SHIVAM METAL RIFINERIES INDUSTRIES			
3.	Constitution of Business	Proprietorship			
4.	Address of Principal Place of Business	1, hurana ki gali, tulsi chaur, Uttar Pradesh, 231001			
5.	Date of Liability	01/07/2017			
6.	Period of Validity	From	01/07/2017	To	NA
7.	Type of Registration	Regular			
					
8.	Particulars of Approving Authority				

Signature

Signature Not Verified  
Digitally signed by DS GOODS  
AND SERVICES TAX NETWORK 1  
Date: 2018.07.28 11:42:13 IST

Name

Designation

Jurisdictional Office

9. Date of issue of Certificate

28/07/2018

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the deemed approval of application on 0

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District/Unit (जिला/इकाई): P.S. (थाना): कोतवाली Year (वर्ष): 2023  
मिर्जापुर कटरा  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0228 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 21/09/2023 20:19 घंटे

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	506
2	भा दं सं 1860	504
3	भा दं सं 1860	323

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): शनिवार Date from (दिनांक से): 09/09/2023 Date To (दिनांक तक): 09/09/2023  
Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 15:00 बजे Time To (समय तक): 15:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 21/09/2023 Time (समय): 20:19 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 066 Date and Time (दिनांक और समय): 21/09/2023 20:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1.

- (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 कि. मी. Beat No. (बीट सं.): डंकीनगंज
- (b) Address (पता): तुलसी चौक हरना की गली,
- (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): दशरथ बिन्द
- (b) Father's Name (पिताका नाम): रामजद बिन्द
- (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 2003 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	हुरुवा देऊरी, पडरी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता हुरुवा देऊरी, पडरी, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश,  
भारत

(i) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-8090103685

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	प्रेमचन्द्र सोनी उर्फ गुड्डु सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 देवी प्रसाद सोनी	1. हरना की गली डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
2	मातेश्वरी सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 कैलाशनाथ सोनी	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
3	रवि कुमार सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : स्व0 कैलाश सोनी	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अनुप कुमार सोनी	Error: Subreport could not be shown.	पिता का नाम : अज्ञात	1. हरना की गली चिनियहवा का इनारा,डंकीनगंज,कोतवाली कटरा,मिर्जापुर,उत्तर प्रदेश,भारत

Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय थाना कोतवाली कटरा जनपद मीरजापुर महोदय, सविनय निवेदन हैं कि प्रार्थी दशरथ बिन्द पुत्र रामजद बिन्द निवासी हुरुवा देऊरी मीरजापुर थाना पडरी का निवासी हैं । मैं फर्म शिवम मेटल रिफाइनरी इन्डस्ट्रीज तुलसी चौक हरना की गली थाना कटरा कोतवाली मीरजापुर मे काम करता हूँ दिनांक 09.09.2023 को समय लगभग 3 बजे कारखाने के कार्य के दौरान विपक्षी (1) प्रेमचन्द्र सोनी उर्फ गुड्डु सोनी पुत्र स्व0 देवी प्रसाद सोनी (2) मातेश्वरी सोनी पुत्र स्व0 कैलाश नाथ सोनी (3) रवि कुमार सोनी पुत्र स्व0 बैजनाथ सोनी (4) अनुप कुमार सोनी पुत्र अज्ञात निवसी हरना की गली चिनिहवा इनारा डंकिनगंज मीरजापुर गाली गलौज करते हुये मारे पीटे व जान से मारने की धमकी दिये हैं । अतः श्रीमान जी से निवेदन हैं कि सुचना दे रहा हूँ FIR दर्ज कर कनूनी कार्यवाही करने की कृपा करे । हस्ताक्षर प्रार्थी दशरथ बिन्द 8090103685 दिनांक 21.09.2023

नोट मैं हे0मु0 अरविन्द यादव यह प्रमाणित करता हूँ कि नकल की तहरीर व कायमी मेरे द्वारा बोल-बोल कर कम्प्यूटर के माध्यम मे पंजीकृत कराया गया हैं ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or ( या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का Rank (पद): उपनिरीक्षक/  
नाम): BUDHISAGAR YADAV अवर निरीक्षक  
No. (सं.): 982765368 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge,  
Police Station (थाना प्रभारी के  
हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression  
of the complainant / informant  
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के  
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): SHIV SHANKAR  
SINGH

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 052760062

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और  
समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना  
रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the  
suspect/accused: ( If known / seen )

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और  
अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
4	पुरुष	2003		-		चेचक: नहीं
Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)	
8	9	10	11	12	13	

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoder ma (लुकोदेर्मा( सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:G0623/OA No. 136/2024

दिनांक:-

Date: 25.06.2024

सेवा में,

अधिकाारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर,  
जनपद-मीरजापुर।

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H35723/सी-4/O.A.No. 64/2016 दिनांक-10.05.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 का अनुपालन कराया जाना वर्णित है। आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिपिंग हेतु मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित वाद ओ०ए० संख्या-64/2016 एवं एम०ए० संख्या-1024/2017 गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.11.2018 के मुख्य अंश निम्नवत् है:-

**"If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed."**

उपरोक्त आदेश के अनुपालन हेतु आबादी क्षेत्र में स्थापित/संचालित उद्योगों की शिपिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिकाारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किये जाने के निर्देश बोर्ड के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-10.05.2019 द्वारा प्राप्त है।


उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य प्रकरण में आच्छादित मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के आवासीय क्षेत्र में संचालित होने के कारण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उपरिसंदर्भित आदेश 28.11.2018 के आलोक में शिपिंग हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने की संस्तुति आपको प्रेषित की जा रही है। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,  
  
25/06/2024  
(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकाारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

**प्रतिलिपि:-** मुख्य पर्यावरण अधिकाारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

  
25/06/2024  
क्षेत्रीय अधिकाारी

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

पत्रांक- 206 /वि0रा0 /2024-25

दिनांक- 21/06/2024

सेवा में

क्षेत्रिय अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियंत्रण ईकाई  
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश,

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 सं0-136/2024 श्री प्रेमचन्द्र गुप्ता  
बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया आपके कार्यालय पत्रांक G0600/OA NO. 136/2024 दिनांक 15.06.2024 का  
सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। सन्दर्भित पत्र में भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन तथा स्थानीय  
निकाय/प्राधिकरण के स्वीकृत मैप से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश प्रदान  
किया गया है।

कृपया विषयाकित्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि वार्ड सं0 8 भवन सं0 213/3 पर  
श्रीमती मीना कुमारी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद का नाम नगर पालिका कर अभिलेख में अंकित  
है भवन का उपयोग पालिका अभिलेख में आवासीय है। भवन का मानचित्र की स्वीकृति नगर  
पालिका द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि विकास प्राधिकरण मीरजापुर द्वारा किया जाता है।  
अतः उक्त स्थिति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।

प्रतिलिपि:-

श्रीमती मीना कुमारी पत्नी स्व0 बद्री प्रसाद को इस निर्देश के साथ की क्षेत्रिय  
अधिकारी, उत्तर प्रदेश, प्रदुषण नियंत्रण ईकाई सोनभद्र, उत्तर प्रदेश, के पत्र सं0  
G0600/OA NO. 136/2024 दिनांक 15.06.2024 की समस्त सूचनायें क्षेत्रिय  
अधिकारी प्रदुषण को अपने स्तर से भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
(पत्र संलग्न है।)

अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद, मीरजापुर।



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उप्रप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.:G 0600/OA No. 136/2024

सेवा में,

M/s. Shivam Metal Refineries Industries,  
Harana Ki Gali, Tulsi Chauk,  
Post-Dankeenganj, Thana Kotwali Katara,  
District-Mirzapur.

दिनांक:-

Date: 15.06.2024

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक-18.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं:-

....."5. we constitute a Joint Committee comprising of representatives of CPCB, UPPCB and District Magistrate, Mirzapur and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.

6. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.

7. List for further consideration on 26.07.2024....."

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण दिनांक-13.06.2024 को किया गया। मौके पर आप द्वारा निम्न सूचनार्य प्रस्तुत नहीं की गयी:-

1. भू-स्वामित्व एवं भू-प्रयोजन से सम्बन्धित अभिलेख।
2. उद्योग आधार/पंजियन से सम्बन्धित अभिलेख।
3. विद्युत संयोजन की प्रकृति से सम्बन्धित अभिलेख।
4. उद्योग स्थल पर निर्माण भवन का स्थानीय निकाय/प्राधिकरण से स्वीकृत मैप।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त वर्णित सूचनार्य/अभिलेख लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, जिससे Factual Report मा0 अधिकरण को प्रस्तुत की जा सके। निर्धारित अवधि में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों एवं निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों के आधार पर आख्या प्रेषित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

भवदीय,

(यू0के0 गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी

**प्र0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।****प्रतिलिपि:-**

1. अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद मीरजापुर, जनपद-मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के भवन/स्थल का स्वीकृत मानचित्र विलम्बतम् 03 दिवस में प्रेषित करना चाहें।
2. उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, जनपद-मीरजापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त फर्म के पंजियन से सम्बन्धित सूचना 03 दिवस के अन्तर्गत प्रेषित करना चाहें।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

15/06/2024  
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या 162, उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल)  
रावर्ट्सगंज, सोनभद्र-231216  
ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel)  
Robertsganj, Sonbhadra-231216  
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

## नगर पालिका परिषद, भीरजापुर

प्रपत्र 17

बिल (गृह कर/जल कर/ ड्रेनेज कर)

वित्तीय वर्ष -2024-2025

सम्पत्ति कोड 0080000260

वार्ड- 008-Mahuwariya

बिल क्रमांक 260	गकान संख्या 211/3			
बिल दिनांक 20 Jun 2024	भवन का प्रयोग आवासीय			
प्रभावी तिथि / /	वार्षिक मूल्यांकन (रु. में) 450.00			
भवन स्वामी का नाम तथा पता		मोबाइल नम्बर		
Smt Meena Kumari W/O Badri Pd ,Badri Pd S/o Jagermath				
211/3 HARNA LANE				
करों का विवरण	गृहकर	जलकर	जल मूल्य	योग
वर्तमान कर	45	45	555	645
बकाया कर	0	0	0	0
बकाये पर ब्याज (10%)	0	0	0	0
विलम्ब शुल्क नामान्तरण	0			
कुल योग				645
जमा की गई धनराशि				0
कुल देय धनराशि				645

नोट :

लिपिक

कर अधीक्षक

- इस बिल की धनराशि का भुगतान बिल प्रस्तुत किये जाने के 15 दिन के भीतर हो जाना चाहिये अन्यथा मांग की नोटिस जारी की जायेगी और यदि आवश्यकता हुई तो अभिहरण और कुर्की के वारंट भी जारी किये जायेंगे।
- भवन का सम्पत्ति कर सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। जिनका विवरण नगर निगम के कम्प्यूटर कक्ष में उपलब्ध है, यदि आपत्ति हो तो एक माह के अन्दर आपत्ति की जा सकती है।
- नगर पालिका परिषद के कम्प्यूटर कक्ष में धनराशि जमाकर कम्प्यूटरीकृत रसीद प्राप्त की जा सकती है।

Update Date / /

Update By

हस्ताक्षर बिल प्राप्तकर्ता

नोट :- बिल का भुगतान बिल प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर कर दें अन्यथा मांग की नोटिस जारी की जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर आर०सी० की कार्यवाही की जायेगी।



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या- H 35723/अ-4/0A No- 64/2016

दिनांक- 10-05-19

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

**विषय : माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 28.11.2018 के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ०ए० सं० 64/2016 एवं एम०ए० सं० 1024/2017 (गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी बनाम उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य) में दिनांक 28.11.2018 को निम्न आदेश पारित किया गया है .....

“Even though the present application referred to be the units at Mathura order of the Hon’ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the state of U.P. and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report.”

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद रिट याचिका सं० 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा शासनादेश संख्या- सी०एस०/89/9-अ-3-2003-82 रिट/2003 दिनांकित- 05.09.2003 एवं शासनादेश सं० सी०एस०-89(1)/9-आ-3-2003-82रिट/2003, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 दिनांक 10-11-2003 द्वारा महायोजना में अंकित आवासीय भू-उपयोग में चल रही व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु निर्देश निर्गत किया गया है तथा मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त याचिका सं०- 34957/2003 (श्रीमती मिथलेश जैन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 13.08.2003 एवं मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के उपरोक्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश 35557/सी-4/उ०प्र० शासन/04 दिनांक 16.08.2004 जारी किया गया है।

मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal (Civil) No (s) . 4295 2011 (M/s Manoj Mini Rice Mill & Ans Vs State of U.P. & Ors. में दिनांक 23.09.2013 को पारित आदेश .....

“We consider it necessary to observe that the Government of Uttar Pradesh and its officers as also the Uttar Pradesh Pollution Control Board shall take active and effective steps for implementation of the directions given by the High Court in Writ Petition No.

टी.सी. 12 वीं, विभूति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
वेबसाइट-[www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)


TC. 12V Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppcb.com](mailto:info@uppcb.com)  
Web Site: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

34957 of 2003 – Srimati Mithilesh Jain V. State of U.P. and others and order passed in P.I.L. Writ Petition No. 15432/2010 Smt. Indira Singh vs. State of U.P. and others and ensure that all commercial and industries are shifted out of the residential areas without any delay.”

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक के अनुपालन में आदेशित किया जाता है कि उ०प्र० शासन एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेशों/आदेशों के अनुरूप उद्योगों की शिफ्टिंग हेतु सम्बन्धित जनपद के उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण या प्रभारी नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत को प्रकरण तुरन्त कार्यवाही हेतु संस्तुति सहित सम्प्रेषण किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल निर्णय पारित किया जाना सम्भव हो सके।


भवदीय,

संलग्नक : मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति।

  
(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य विधि अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. समस्त वृत्त अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के पत्रांक-1745/पी०एस०एम०एस०/एस०ओ०-2018 दिनांक- 05.12.2018 के अनुक्रम में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रमुख सचिव महोदय स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना चाहेंगे।

  
सदस्य सचिव

Item Nos. 1 to 4

Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 64/2016  
(M.A. No. 1024/2017)

With

Original Application No. 473/2016

With

Original Application No. 518/2018

M.A. Nos. 1243/2018 & 1244/2018

With

Original Application No. 910/2018

Gopeshwar Nath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kantanath Chaturvedi

Applicant(s)

Versus

U.P. Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Harish Garg

Applicant(s)

Versus

U.P. State Pollution Control Board & Ors.

Respondent(s)

With

Kunj Bihari Bhardwaj

Applicant(s)

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of hearing: 28.11.2018

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON**  
**HON'BLE MR. JUSTICE RAGHUVENDRA S. RATHORE, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE MR. JUSTICE S.P. WANGDI, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE MR. JUSTICE K. RAMAKRISHNAN, JUDICIAL MEMBER**  
**HON'BLE DR. NAGIN NANDA, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s):

Mr. Rahul Kumar, Advocate  
Ms. Savitri Pandey, Advocate  
Mr. I.K. Kapila, Advocate

For Respondent (s):

Mr. Rajkumar, Advocate  
Mr. Amit Tiwari, Advocate  
Mr. Pradeep Misra, Advocate  
Mr. S.K. Bhomicharya, Advocate  
Mr. Sarthak Chaturvedi, Advocate  
Mr. Rahul Khurana and Mr. Dinesh Agarwal,  
Advocates

**ORDER**

1. The issue in these applications is compliance of the order of the Hon'ble Supreme Court dated 23.09.2013 in SLP (Civil) No. (s) 4295/2011- M/s. Manoj Mini Rice Mill & Anr. Vs. State of U.P. & Ors, directing the implementation of the order of Division Bench of the Allahabad High Court, dated 13.08.2003 in Smt. Mithlesh Jain Vs. State of U.P. & Others (2003(6) AWC 4742, directing the industrial activities in residential areas to be shifted from such areas for protection of environment.
2. On 06.04.2018, the matter was considered by this Tribunal. It was noted that the units working at Mathura in residential area had agreed to shift and from some had actually shifted. The Pollution Control Board had refused consent to operate to many of the units. However, since it was stated on behalf of the applicant that some of the units were still operating, the District Administration, Mathura was directed not to allow the units, which did not have consent to operate or those who were not complying with the environmental norms to operate. The District Administration was to disconnect the electricity and water supply and file a status report.
3. Accordingly, status report has been filed on 26.04.2018 by the District Magistrate, Mathura to the effect that out of 77 units which were operating, consent to operate had been declined to 26 units. Electricity and water supply connection of all the 77 units were disconnected. Further, affidavit was filed in response to an application filed by the units for permission to operate stating that in spite of furnishing of an undertaking to shift, switch over to ZLD and not to use cyanide, the units were acting in breach of the undertaking. The ETPs were non- functional. The untreated effluent was being discharged in river Yamuna through open storm water drain. The units are of red category, as per classification by the CPCB. The use of cyanide based technology was prohibited by CPCB, vide order dated 18.08.2017. Such units cannot, thus, be allowed to operate as was the prayed by the said units claiming that they were compliant.
4. We have heard the learned counsel for the parties.
5. Learned counsel for the applicants submitted that even though the administration claims to have closed the units and disconnected the water and electricity, some of the units are still illegally functioning. The list of such units

has been filed in O. A. No. 910 of 2018. In these circumstances, Sh. I. K. Kapila, learned counsel for some of the applicant in the said matter has handed over a format of undertaking, prescribed in proceedings in the Hon'ble Supreme Court to deal with an identical situation in M. C. Mehta Vs. UOI & Ors. WP(C) No. 4677 of 1985,(2004)6 SCC 588. Undertaking is, inter-alia, as follows:

5. *"That, I/We seek restoration of electricity/water connection/desealing of the said premises of the purpose of:*
  - (i) *Removal of Machinery and other related items of industrial activity being carried out in the premises.*
  - (ii) *That I will inform in writing to the DCI(Policy) in Department of industries details of disposal of machinery with self-attested documents within 7 days of desealing of my premises by the SDM. Para 5 is modifying the language as may be applicable to the fact situation.*
  - (iii) *I intent to shift my plant and machinery to the new place in conforming industrial area as located at..... And a self-attested photocopy of the documents as proof of ownership and rent receipt etc is enclosed.*
6. *That, I/.We undertake not to carry out any activity in the existing premises after it desealed and this premises will be used only in a conforming manner."*

6. Learned counsel for the State of UP as well as learned counsel for UPPCB supported the above stand of such an undertaking being required for restoring the electricity/water connection in respect of the said units.

7. Learned counsel for the State/UPPCB also submit that the industries have been shifted to Jai Singh Pura which is also known as Guar Kendra which is an industrial area as per applicable master plan. It has been further stated that out of 77 units 7 units were not found at the location/address, 50 units have been shifted/ closed and 20 units were though consent was rejected and appeals against refusal of consent were dismissed. The said units have filed O. A. NO. 518 of 2018.

8. In view of the above, we pass the following orders:

- (i) The application- O. A. NO. 518 of 2018 is dismissed.
- (ii) Any unit out of 77 units in question, seeking restoration of water /electricity connection/ desealing will be required to furnish an undertaking in terms of para 5 herein above to the extent applicable in a fact situation, before the District Administration..
- (iii) The UPPCB and all other concerned statutory authorities will ensure that there is no violation of environment laws at Jai Singh Pura industrial area. In this regard, a Joint Inspection be carried out of the said

area by the representatives of the UPPCB and CPCB within one month from now. The deficiencies found, if any, may be addressed to the satisfaction of the CPCB. This area should have proper infrastructural facilities like CETP, TSDF, as required under the law.

(iv) It is made clear that if any DG set is operating to facilitate any of the above units, such DG sets may be seized by the District Administration on 'Precautionary Principal'.

(v) If unit which is operating in the residential area, the Administration may dis-mantle the tank and machinery may be removed.

9. Even though the present application referred to the units at Mathura, order of the Hon'ble Supreme Court dated 23-09-2013 was for the entire State of Uttar Pradesh. To give effect to the said order, it is essential that the State of UP and UPPCB take further steps for other parts of the State and the report in this regard is furnished to this Tribunal within three months.

10. All these applications i.e. O.A. 64/2016(M. A. NO. 1024/2017), O.A. NO. 473/2016, O.A. No. 518/2018(M. A. NO. 1243/2018 & .A. NO. 1244/2018) and O.A. No. 910/2018 are disposed of, except for consideration of the report which may be furnished.

11. List the matter for consideration of the report in 2<sup>nd</sup> week of May, 2019 and same may be treated as a separate matter.

Adarsh Kumar Goel, CP

Raghuvendra S. Rathore, JM

S.P. Wangdi, JM

K. Ramakrishnan, JM

Dr. Nagin Nanda, EM

November 28, 2018

ig



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.  
सेवा सं०

113644 / ए-21 वायु = 556/24

दिनांक 27-24  
Date 27-24  
पंजीकृत

मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज,  
हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा,  
जनपद-मीरजापुर।

यह कि मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, सोनमद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आपकी इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 13.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल एवं भूस्वामी सम्बन्धी सूचना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-जी. 00800/ओ0ए0 संख्या-136/2024 दिनांक-15.06.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को पत्र प्रेषित किया गया था, तत्कम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के पत्रांक-206/वि0रा0/2024-25 दिनांक-21.06.2024 एवं उक्त भवन के स्वामी श्रीमती मीना कुमारी पत्नी बट्टी प्रसाद पुत्र जगरनाथ अंकित है, एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री भोला नाथ गुप्ता पुत्र रच0 बट्टी प्रसाद है। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, सोनमद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमत्य नहीं होने एवं आवासीय परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एव जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पूर्ति कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com



22/07/2025

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No

खेत्र म.

मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज

हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर।

यह कि मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आपकी इकाई का निरीक्षण संयुक्त संमति द्वारा दिनांक 13.06.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन का कार्य किया जाता है। उद्योग में कच्चे माल के पिघलाने हेतु एक मेल्टिंग फर्नेश स्थापित पायी गयी, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग को संचालन हेतु राज्य बोर्ड से सहमति आदेश प्राप्त नहीं है। उद्योग स्थल एवं भूस्वामी सम्बन्धी सूचना हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र संख्या-जी.00600/ओ0ए0 संख्या-136/2024 दिनांक-15.06.2024 द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को पत्र प्रेषित किया गया था, तत्कम में अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के पत्रांक-206/वि0रा0/2024-25 दिनांक-21.06.2024 एवं उक्त भवन के स्वामी श्रीमती मीना कुमारी पत्नी बन्नी प्रसाद पुत्र जगरनाथ अंकित है, एवं उक्त फर्म के स्वामी श्री भोला नाथ गुप्ता पुत्र स्व0 बन्नी प्रसाद है। उक्त वार्ता से उद्योग स्थल का प्रयोजन आवासीय होना दृष्टिगोचर हुआ है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा प्रेषित आख्यानुसार आवासीय क्षेत्र में व्यवसायिक एवं औद्योगिक गतिविधियों के अनुमत्य नहीं होने एवं आवासीय परिक्षेत्र में स्थापित/संचालित इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं संचालन हेतु सहमति (जल एवं वायु) प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना संचालन किये जाने के दृष्टिगत इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31ए के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :-

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर।

2. क्षेत्रीय अधिकारी, उपप्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराया जाए, फावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com



क्षेत्रीय कार्यालय,  
REGIONAL OFFICE,  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
सोनभद्र  
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0851/OA No. 136/2024

दिनांक:-

Date: 02.09.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
टी०सी० 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ।

**विषय:-** मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक-एच.13644/सी-2/वायु-556/24 दिनांक-08.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त कारण बताओ नोटिस को उद्योग स्वामी को दिनांक-26.07.2024 को निरीक्षण के दौरान प्राप्त कराया गया है। प्राप्ति की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। कार्यालय के प्राधिकारियों द्वारा दिनांक-26.07.2024 को निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया। उद्योग स्वामी को प्राप्त करायी गयी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि बीत जाने के उपरान्त उद्योग का प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उद्योग के विरुद्ध शिकायती प्रकरण मा० एन०जी०टी० में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-136/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम उ०प्र० राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त उद्योग के आस-पास का क्षेत्र नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के पत्रांक-206/वि०रा०/2024-25 दिनांक-21.06.2024 के माध्यम से आवासीय होना संज्ञानित है। पूर्व में उद्योग द्वारा विस्थापन हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके निस्तारण हेतु नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को सूचित किया गया है।

अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में मेसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज, हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-08.07.2024 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय  
02/09/2024  
(यू०के० गुप्ता)  
क्षेत्रीय अधिकारी



संदर्भ सं० 1/6960 स्त-2 वायु-556/बंदी आदेश/24  
Ref. No. 1/6960 स्त-2 वायु-556/बंदी आदेश/24

दिनांक 4-9-24  
Date .....

सेवा में,

मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज,  
हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा,  
जनपद-मीरजापुर।

प्रजीकृत

यह कि उद्योग मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में एल्युमिनियम स्कैप का उपयोग कर एल्युमिनियम के बर्तन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-(2क) के अन्तर्गत औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र के पत्र दिनांक 02.09.2024 की आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 08.07.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उक्त के अनुक्रम में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, सोनभद्र स्तर से दिनांक 26.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत नहीं पाया गया। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से उद्योग को कारण बताओ नोटिस की प्रति भी दिनांक 26.07.2024 को तमीला कराई गई है। उद्योग स्वामी को प्राप्त करायी गयी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में निर्धारित समयावधि बीत जाने के उपरान्त उद्योग का प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उद्योग के विरुद्ध शिकायती प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में दिवाराधीन ओ0ए0 संख्या-138/2024 प्रेम चन्द गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के अन्तर्गत आच्छादित है तथा उक्त उद्योग के आस-पास को क्षेत्र नगरपालिका परिषद, मीरजापुर के पत्रांक-206/वि0रा0/2024-25 दिनांक 21.06.2024 के माध्यम से आवासीय होना संज्ञानित है। पूर्व में उद्योग द्वारा विस्थापन हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके निस्तारण हेतु नगरपालिका परिषद, मीरजापुर को सूचित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की आख्या दिनांक 02.09.2024 द्वारा उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत दिनांक 08.07.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पूर्ति किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :-

1. यह कि मैसर्स शिवम मेटल रिफाइनरीज इण्डस्ट्रीज हरना की गली, तुलसी चौक, पोस्ट-डंकीनगंज, थाना कोतवाली कटरा, जनपद-मीरजापुर में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, मीरजापुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, मीरजापुर को संदर्भित उद्योग के विद्युत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) मीरजापुर को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com